

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3955-1/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.04.2015

पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 249/अ-21/2013-14

1. शिव कुमार गौड पुत्र श्री सुखदेव गौड
निवासी-ग्राम मरहापाठा बरगी तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
2. श्री सुनील कुमार गौड पुत्र श्री दौलत सिंह गौड
निवासी - 1105, लोधी मोहल्ला गोरखपुर जबलपुर (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरुद्ध

1. कमलेश कुमार यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव
निवासी-232 शंकर शाह नगर वार्ड रामपुर जबलपुर (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन

-- अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक
श्री वी.एन. त्यागी, सूची अभिभाषक

!! आदेश !!

(आज दिनांक 17/04/2015)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 249/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

for

OM

2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम खुरसी, प.ह.न. 69 रा.नि.म. बरगी, तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 165 रकवा 1.190 है0, खसरा नं. 167 रकवा 1.31 है0 इस प्रकार कुल रकवा 2.50 है0 भूमि के मालिक काबिज भूमिस्वामी है। उक्त भूमि को वह अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करना चाहता है, इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक भूमिहीन नहीं होगा क्योंकि उसके पास 8.18 है0 भूमि असिंचित शेष बचेगी। इसलिये आवेदकगण को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 249/अ-21/2013-14 पंजीबद्ध कर आवेदकगण के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जिला जबलपुर से करायी। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 से विक्रय अनुमति आवेदन-पत्र इस आधार पर अमान्य कर दिया कि आवेदकगण द्वारा भूमि क्रय करने के छह माह बाद भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया है, जो प्रथमदृष्टया संदेहास्पद है। इस आधार पर भूमि विक्रय अनुमति आवेदन पत्र निरस्त किया है, इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदकगण अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण की ओर से उठाये गये तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में माना है कि आवेदकगण ने भूमि क्रय किये जाने के तत्काल बाद भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो संदेहास्पद है। जबकि भूमि स्वामी द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी भूमि का विक्रय किया जा सकता है। इसमें संदेहास्पद की कोई स्थिति नहीं है, भूमि विक्रय किये जाने के संबंध में विधिवत् रूप से अनुबंध पत्र दिया गया है इससे आवेदकगण को कोई आर्थिक हानि नहीं हो रही है बल्कि आवेदकगण को भूमि का

For



जो मूल्य प्राप्त हो रहा है वह वर्तमान गाईड लाईन के अनुसार से अधिक है, ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने की कृपा करें।

5- आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों के अनुसार प्रकरण में यह देखना है कि आवेदकगण वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?

1- तहसीलदार बरगी ने आवेदकगण के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन दिनांक 12.06.2014 में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदकगण के पास कुल रकवा 8.18 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदकगण भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदकगण द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- तहसीलदार बरगी, ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि अस्तिचित है। इस प्रकार आवेदकगण की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदकगण अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदकगण की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदकगण भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदकगण आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना


Raw

OM

सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदकगण ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदकगण ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 1 के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदकगण को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदकगण को भूमि खसरा नं.165 रकवा 1.190 है०, खसरा नं. 167 रकवा 1.31 है० इस प्रकार कुल रकवा 2.50 है० भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

R



(एम.के.सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर